रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-03112026-277626
CG-GJ-E-03112026-277626

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2026/कार्तिक 7, 1948
No. 639] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2026/KARTIKA 7, 1948

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 22 अक्तूबर, 2026

सं. आईएफएससीए/जीएन/2026/017.— केंद्र सरकार ने 14 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना एस.ओ. 5199 (ङ) के तहत, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उत्पादों या उपकरणों के 'परिचालन पट्टे' (जिसमें परिचालन और वित्तीय पट्टे का कोई भी वर्ण-संकर रूप शामिल है) को 'वित्तीय उत्पाद' के रूप में अधिसूचित किया;

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना और 'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019' (2019 का 50) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा **"ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाइयां"** और **"परस्पर संयोजित डेटा सेंटर उपकरणों"** को उक्त अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए 'उपकरण' के रूप में निर्दिष्ट करता है।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, -

(i) "ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाइयों" का तात्पर्य —

(क) ऐसी ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाइयों से है, चाहे इनमें एक ही ढांचे में निम्नलिखित प्रकार की इकाइयों अर्थात भंडारण इकाइयों, इनपुट इकाइयों या आउटपुट इकाइयों में से एक या दो शामिल हों अथवा नहीं।

इसमें विभिन्न प्रकार की भंडारण इकाइयाँ और उनसे जुड़े पुर्जे व सहायक उपस्कर शामिल हैं। साथ ही, इसमें सामान्य प्रयोजन की ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाइयां, कृत्रिम बुद्धिमता गतिवर्धक, टेंसर या तंत्रिका प्रसंस्करण इकाई, त्वरित संगणक उपकरण और इसी तरह की अन्य संगणन या गतिवर्धक तकनीक शामिल हैं; और

(ख) रैक-स्तरीय कृत्रिम बुद्धिमता प्रणालियों से है, चाहे उनकी किसी एकीकृत प्रणाली के रूप में आपूर्ति या इनवॉइस की गई हो या नहीं। इसमें एक ही रैक के भीतर एकीकृत संगण ट्रे, स्विच ट्रे, सीपीयू और इनपुट या आउटपुट इकाइयाँ, जिन्हें प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, शामिल हैं;

(ii) "परस्पर संयोजित डेटा सेंटर उपकरण" का तात्पर्य -

(क) प्रोसेसर और कंट्रोलर सहित इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट से है, चाहे वे मेमोरी, कन्वर्टर, लॉजिक सर्किट, एम्पलीफायर, क्लॉक और टाइमिंग सर्किट या अन्य सर्किट के साथ संयोजित हों अथवा नहीं;

(ख) सर्वर विद्युत आपूर्ति इकाइयों सहित सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, इंटरकनेक्ट और पावर उपकरण तथा डेटा सेंटर में उपकरणों को लगाने या उनके संचालन के लिए आवश्यक कतिपय अन्य उपकरणों से है; और

(ग) उपर्युक्त के पुर्जों और सहायक उपस्करों से है, लेकिन इनमें समग्र डेटा सेंटर की फेसिलिटी के काम आने वाले उपकरण शामिल नहीं हैं;

ये विशेष रूप से ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाइयों के लिए हैं और सीधे तौर पर उनसे जुड़े हुए हैं।

2. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी।

डॉ. प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./408/2026-27]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 22nd October, 2026

No. IFSCA/GN/2026/ 017.— The Central Government vide notification S.O. 5199 (E) dated 14th December, 2021, notified operating lease including any hybrid of operating and financial lease of such product or equipment as may be specified by International Financial Services Centres Authority, as financial product;

In exercise of the powers conferred by the said notification read with section 12 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the International Financial Services Centres Authority hereby specifies **"Graphics Processing Units"** and **"connected data centre equipment"** as equipment for the purposes of the said notification.

***Explanation*.** - For the purposes of this notification, -

(i) "Graphics Processing Units " means—

(a) graphics processing units, whether or not containing, in the same housing, one or two of the following types of units: storage units, input units or output units, including various types of storage units and allied parts and accessories, and includes general-purpose graphics processing units, artificial intelligence accelerators, tensor or neural processing units, accelerated computing equipment and comparable computing or acceleration technologies; and

(b) rack-scale artificial intelligence systems, whether or not supplied or invoiced as one integrated system or otherwise, including compute trays, switch trays, CPU and input or output units integrated within a single rack, and presented in the form of systems;

(ii) "connected data centre equipment" means-

(a) electronic integrated circuits comprising processors and controllers, whether or not combined with memories, converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing circuits or other circuits;

(b) servers, storage, networking, interconnect and power equipment including server power supply units and any other equipment required for the deployment or operation of the equipment in a data centre; and

(c) parts and accessories of above, but does not include equipment serving the data centre facility as a whole;

in so far as the above equipment are dedicated to and directly associated with Graphics Processing Units.

2. This notification shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

Dr. PRAVEEN TRIVEDI, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./408/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.